भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2783

उत्तर देने की तारीख : 05.08.2026

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम

2783. श्री केसिनेनी शिवनाथ:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार को राज्य-वार कुल कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान राज्य-वार कितने प्रस्ताव और परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं;

(ग) आन्ध्र प्रदेश राज्य में विगत पांच वर्षों के दौरान कितनी परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं और कितनी धनराशि स्वीकृत, जारी की गई है और कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है;

(घ) 15 कि.मी. के मानदंड के अंतर्गत 25 प्रतिशत अल्पसंख्यक जनसंख्या के अनुसार आन्ध्र प्रदेश में पात्र जिलों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सभी पात्र जिलों ने प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या इस योजना को वित्तीय वर्ष 2025-26 के बाद विस्तारित किए जाने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख): प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। इस योजना का उद्देश्य देश भर में चिन्हित अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में सामुदायिक अवसंरचना का निर्माण करना और मूलभूत नागरिक सुविधाओं को सुदृढ़ करना है। इस योजना के अंर्तगत शुरू की गई परियोजनाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला केंद्रित सुविधाएं, पेयजल और स्वच्छता, खेल, नवीकरणीय ऊर्जा और अन्य सामुदायिक बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

पिछले पाँच वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) के अंतर्गत राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त प्रस्तावों तथा अनुमोदित परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध–I** में संलग्न है।

(ग) से (च): यह योजना देश के सभी जिलों में लागू की जा रही है। योजना के तहत PMJVK के दिशा-निर्देशों के अनुसार, ऐसे क्षेत्रों में परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किए जा सकते हैं जहाँ 15 किलोमीटर के दायरे में अल्पसंख्यक जनसंख्या 25 प्रतिशत से अधिक हो। पात्र क्षेत्रों में अवसंरचना विकास की आवश्यकता के आधार पर ऐसे प्रस्तावों की सिफारिश संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति (SLC) द्वारा की जाती है।

योजना के अंतर्गत पात्र जिलों की कोई जिला-वार सूची अधिसूचित अथवा उसका रखरखाव नहीं किया जाता है। पात्रता का निर्धारण क्षेत्रीय स्तर पर किया जाता है, जो प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) के दिशा-निर्देशों के अनुसार 15 किलोमीटर के दायरे में 25 प्रतिशत से अधिक की अल्पसंख्यक जनसंख्या होने के मानदंड पर आधारित होता है।

पिछले पाँच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) के अंतर्गत किसी भी नई परियोजना को अनुमोदित नहीं किया गया है तथा किसी नई परियोजना के लिए कोई धनराशि भी स्वीकृत नहीं की गई है। हालाँकि, उक्त अवधि के दौरान राज्य में पहले से चल रही PMJVK परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु 8.76 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

वर्ष 2025-26 में आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) के अंतर्गत कुल 101.88 करोड़ रुपए की परियोजना लागत के साथ 7 परियोजनाएँ प्रस्तुत की हैं, जिनमें कुल 26 इकाइयाँ शामिल हैं।

तथापि, वर्तमान में PMJVK योजना को 31 मार्च 2026 तक के लिए ही अनुमोदित किया गया है।

अनुबंध-I

'प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम' विषय पर माननीय सांसद श्री केसिनेनी शिवनाथ द्वारा पूछे गए तथा दिनांक 05.08.2026 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2783 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

PMJVK के अंतर्गत पिछले पाँच वर्षों के दौरान प्राप्त एवं स्वीकृत परियोजना प्रस्तावों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्राप्त परियोजना प्रस्ताव					स्वीकृत परियोजना प्रस्ताव				
	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026
अंडमान एवं निकोबार	-	-	-	-	79	-	-	-	-	-
आंध्र प्रदेश	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
अरुणाचल प्रदेश	11	-	448	853	50	6	-	-	12	56
असम	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
बिहार			-	-	16	-	-	-	-	8
दिल्ली	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
हिमाचल प्रदेश	-	-	19	54	76	-	-	10	1	12
छत्तीसगढ़	-	-	-	-	49	-	-	-	-	-
जम्मू एवं कश्मीर	-	-	-	861	11	-	-	-	-	-
झारखंड	-	-	-		262	5	-	-	-	-
कर्नाटक	5	-	38	21	25	-	-	12	15	-
केरल	19	-		6	42	19	-	-	-	
लद्दाख	-	-	7	4	1	-	-	2	-	-
मध्य प्रदेश	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-
महाराष्ट्र	3	4	-	63	2	3	-	-	2	2
मणिपुर	-	-	-	16	100	-	-	-	-	-
मेघालय	1	-	12	-	-	1	-	-	-	-
मिजोरम	7	-	1	400	30	7	-	-	-	8
नागालैंड	-	-	66	39	57	-	-	4	12	-
ओडिशा	-	-	-	-	587	-	-	-	-	-
पुदुचेरी	-	-	-	-	36	-	-	-	-	-
पंजाब	2		3	2	54	2	-	-	-	-
राजस्थान	6	348	329	793	245	6	-	7	-	31
सिक्किम	20	-	857	24	42	20	-	24	1	
तेलंगाना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
तमिलनाडु	62	1	-	210	374	62	-	-	-	
त्रिपुरा	5	-	-	1	57	5	-	-	-	-
उत्तर प्रदेश	15	10	25	285		15		25	-	-
उत्तराखंड	-	-	21	-	13	-	-	7	-	-
पश्चिम बंगाल	7	4	-	-	-	7	-	-	-	-
